उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–3
संख्या– 2207/26–3–2012–4(358)/07–टी0सी0–2
लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012

1–	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नियमावली–2012 कहलाएगी।
2–	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीब माता–पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3–	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हो।
4–	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5–	परिभाषा –	
	i – केन्द्र सरकार	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।
	ii – राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
	iii – अभ्यर्थी	'अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे अभ्यर्थी जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, इसके लिए अर्ह होंगे। पत्राचार में सुदूर एवं अनुवर्ती शिक्षा शामिल है।
	iv –शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।
	v–अनुसूचित जाति	"अनुसूचित जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–341 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा

उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

vi–अनुसूचित जनजाति

"अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–342 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

vii–बैंक

"बैंक"का तात्पर्य किसी ऐसे राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो।

viii –शैक्षणिक सत्र

"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य किसी वर्ष विशेष में समय के ऐसे निर्धारित अन्तराल से है, जिसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्धारित नीति के अनुसार शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता हो।

ix–फ्री सीट

केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या मेरिट की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सीट।

x –पेड सीट

केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा से इतर अथवा प्रबन्धकीय कोटे एवं स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम आदि में भरी गयी सीट।

xi –छात्रवृत्ति का मूल्य

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियाँ सम्मिलित होगी:–

(क) अनुरक्षण भत्ता

(ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति

(ग) अध्ययन दौरा खर्च

(घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च

(च) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता

(छ) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।

xii–शुल्क

(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि शामिल

होंगें।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की फ्री एवं पेड सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। तथापि पेड सीटों के सापेक्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करते समय, छात्र द्वारा संलग्न किये गये आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय की जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

(घ) जो निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत नहीं हैं व पाठ्यक्रम के शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति दर अथवा संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

6— अर्हता

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगें :—

(i) केवल वे ही उम्मीदवार इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हों और जिन्होंने किसी मान्यता

प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोडकर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी :–

(क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रमों

(ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रमों

(ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रमों

(घ) सैनिक महाविद्यालय

(च) देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों

(छ) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ–इण्टर आर्टस् करने के बाद इण्टर साईंस करने लगें या बी0ए0 करने के बाद बी0काम करने लगें, या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगें।

(v) ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगें, जैसे– बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगें। शैक्षिक वर्ष 1980–81 से दो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति है।

(vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुद्देशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वी कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वी कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को

मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।

(vii) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहें हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) चिकित्सा में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।

(ix) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नाकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका(स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।

(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/बिज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नात्कोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह–1 (परिशिष्ट क में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोडकर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।

(xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न की जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता–पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।

(xii) एक ही माता–पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र छात्रवृत्ति या वजीफा दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह

दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहें हैं, कोचिंग कार्यकम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।

(xv) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेराजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता–पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतो से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता–पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता–पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय–सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्ते पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

(xvi) कामर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में कामर्शियल हेलीकाप्टर पायलट लाइसेंस कोर्स, तथा कामर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ मल्टी इंजन श्रेणी प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाने के बाद भी ए–320 के तथा समान एयरक्राफ्ट पर प्रशिक्षण हासिल होगा जिसके अन्तर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थियों को

केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

7– मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य

मूल निवास के सम्बन्ध में, आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया 'सामान्य निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

8– माता–पिता/अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य

माता–पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे :–

(i) माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय को रू0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषित करते हुए शपथ–पत्र के माध्यम से देना होगा।

(ii) अभ्यर्थी के माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, उनके नौकरी में न होने की दशा में समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण–पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो ।

(iii) अभ्यर्थी के माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति की गयी हो।

(iv) आय प्रमाण–पत्र केवल एक बार अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय–प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण–पत्र देना होगा।

(v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।

9– मास्टर डाटाबेस व संस्थाओं का पंजीकरण कोर्स मास्टर में

(i) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नाम व विवरण समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में संचालित 'मास्टर डाटा बेस' में तथा पाठ्यक्रमों के संबंध में संचालित 'कोर्स

मास्टर' में निर्धारित समय सीमा तक शामिल होने पर ही ऐसी संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी।

(ii) जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि तक शैक्षणिक संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में जिलाधिकारी की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। निर्धारित तिथि तक छूट गयी संस्थाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त कारण दर्शाये जाने की दशा में जिलाधिकारी की संस्तुति पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् नवीन मान्यता प्राप्त करनें वाली संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में निर्धारित तिथि से एक माह के अन्दर मण्डलायुक्त की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। इसके पश्चात डाटाबेस में प्रविष्टि की अनुमति देने का अधिकार केवल शासन को होगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई पात्र संस्था छूटने न पाये तथा कोई गलत संस्था मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित न हो सके।

10– अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें

(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तदनुरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।

11– छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण

(i) छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

(ii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था को, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि एक मुश्त भुगतान की जायेगी।

(iii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा से भिन्न अन्तराल पर होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति प्रवेश पाने की पुष्टि के बाद ही की जायेगी। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने की दशा में प्रत्येक सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति उस सेमेस्टर में प्रवेश पा लेने के बाद ही की जायेगी।

(iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित

वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रो को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :–

(क) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वात्तशासीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(घ) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में पेड सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(च) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत हैं उनमें अध्ययनरत छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रथम आवत प्रथम पावत व्यवस्थानुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक।

नोट :– उपरोक्त (क) से (घ) तक की संस्थाओं के छात्रों को संतृप्त करनें के पश्चात् ही धनराशि अवशेष रहने पर उपलब्ध बजट की सीमा तक उपरोक्त (च) से संबंधित छात्र/छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

12– **अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रकिया**

(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। संस्था में छात्र को प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्था के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट "ख") पर अनुबन्ध–पत्र निष्पादित किया जायेगा।

(ii) अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र परिशिष्ट "ग" पर संलग्न निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर दो प्रतियाँ परिशिष्ट "घ" के अनुसार सभी वांछित संलग्नकों सहित परिशिष्ट "च" के अनुसार शपथ–पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करेगा,

[illegible] परिशिष्ट [illegible] के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन–पत्र में संलग्न आय, जाति व निवास प्रमाण–पत्रों का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाईट से, तथा अन्य प्रमाण–पत्रों का मिलान मूल प्रमाण–पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन–पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1–संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य–	अध्यक्ष
2–संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक –	सदस्य
3–संस्था के वरिष्ठतम् अनु0जाति के प्राध्यापक–	सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति पर संस्तुत छात्रों का निर्धारित विवरण विभाग द्वारा तैयार कराये साफ्टवेयर के डाटाबेस में फीड करनें का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व भी संस्था का ही होगा। फीड कराये गये डाटा की हार्ड एवं साफ्ट कापी (सी0डी0) के साथ परिशिष्ट "ज" के अनुसार सत्यापन प्रमाण–पत्र तथा परिशिष्ट "झ" के अनुसार रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) प्रत्येक छात्र के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(vi) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात् उपर्युक्त डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (सी0डी0) अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को प्रेषित की जायेगी।

(vii) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :-

1– जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी — अध्यक्ष

2– जिला विद्यालय निरीक्षक — सदस्य

3– जिला समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, जिसमें अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(viii) छात्रवृत्ति की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्वीकृत आदेश सहित निर्धारित तिथि से पूर्व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर पर डाटा को प्रोसेस कराकर निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।

(ix) निर्धारित रीति से जनपदों को इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत वितरण का दायित्व भी नियम–12(vii) में अंकित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का होगा।

(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उसके बचत खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रति वर्ष या निर्धारित अन्तराल पर, जैसा भी लागू हो, किया जायेगा। अभ्यर्थी को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उसके खाते में प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर शिक्षण संस्था को जमा करना अनिवार्य होगा।

(xi) बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनको उपलब्ध कराई गई धनराशि समय से छात्रों के बैंक खातों में स्थानान्तरित करें, यदि किसी कारणवश धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे समाज कल्याण विभाग के नोशनल एकाउन्ट में यथाशीघ्र वापस करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वापस की जा रही धनराशि का छात्रवार पूर्ण विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त धनराशि के विवरण को तत्काल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा। इस समस्या के निराकरण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

13– भुगतान व्यवस्था

(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रवृत्ति आवेदन– पत्र जमा करना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

(ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रथम किश्त की धनराशि प्रथम चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराकर निर्धारित तिथि के अन्दर मांग की जायेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर एवं वेबसाइट को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा लाक कर दिया जायेगा।

(iii) एन0आई0सी0 में अपलोड कराये गये छात्रवृत्ति डाटा के आधार पर साफ्टवेयर द्वारा तैयार किये गये अनुसूची के द्वारा अनुरक्षण भत्ता एवं निर्धारित देय शुल्क की धनराशि की प्रथम किस्त सम्बन्धित छात्र के बैंक खाते में निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवश्य अन्तरित करा दी जायेगी। उस वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पश्चात् परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात् अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर बेवसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराकर प्रदर्शित होने पर निदेशक, समाज कल्याण से मांग की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति

की केवल द्वितीय चरण की धनराशि को ही वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक संबंधित साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा व उक्त साफ्टवेयर को निर्धारित तिथि पर एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा पूर्णतया लाक कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण की माँग की धनराशि निर्धारित अंतिम तिथि तक जनपदों को प्रेषित की जायेगी। किसी भी जनपद की जंक डाटा आदि के निवारण के पश्चात अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपरिहार्य हो, तो संबंधित प्रकरण में निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश की अनुमति के पश्चात राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अपलोड की कार्यवाही की जायेगी।

(iv) शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय चरण की धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यथासम्भव माह–मार्च के अंत से पूर्व छात्रों के बैंक खाते में अन्तरित करायी जायेगी।

(v) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।

(vi) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दिया जायेगा, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान किया गया था।

14– **छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण**

(i) एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी। बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षो तक सतत चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे। परीक्षायें भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(ii) समूह–1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता

है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।

(iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा/अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।

(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।

15– छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें

(i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे– हड़ताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने झूठी घोषणा से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की है तो उसकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी और समाज कल्याण विभाग अपने विवेक से भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की धनराशि वसूल कर सकेगा। सम्बन्धित छात्र को काली सूची में सूचीबद्ध किया जायेगा और किसी भी योजना में छात्रवृत्ति से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्र के विरूद्ध उचित धाराओं में

विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) प्रदत्त छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है, यदि छात्र उस पाठ्यक्रम का विषय बदल देता है, जिसके लिए वह छात्रवृत्ति मूलतः दी गयी थी, अथवा छात्र राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन बगैर अध्ययन की संस्था को बदल लेता है। संस्था प्रमुख ऐसे मामलों के बारे में विभाग को सूचित करेगा ताकि विभाग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान रोक देगा। राज्य सरकार के विवेक से पहले भुगतान की गयी धनराशि भी वसूल की जा सकती है।

(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान यदि वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड दिया जाता है तो विभाग के निर्णय पर छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।

16– संबंधित शिक्षा विभागों का दायित्व

(i) प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा– माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, एवं स्टेट मेडिकल फैकेल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।

(ii) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को मास्टर डाटाबेस में अपलोड कराने हेतु अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के जनपद स्तरीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से नियम–12 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

17– जनपद स्तर पर अनुश्रवण

(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

(1) जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य

(4) जनपद में स्थित रा0 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो	सदस्य
(5) जनपद में स्थित रा0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	सदस्य
(6) जनपद में स्थित रा0 इंजी0 कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	सदस्य
(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो	सदस्य
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC)	सदस्य
(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव

(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्व विवेक से सत्यापन करायेगी। समिति की बैठक प्रतिमाह की जायेगी तथा प्रत्येक माह कृत कार्यवाही विषयक आख्या मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत–प्रतिशत सत्यापन करायेगी –

क– पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाएँ।

ख– जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग एक करोड़ रूपये या उससे अधिक हो।

उक्त के अतिरिक्त समिति स्व विवेक से रैण्डम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जाँच अथवा सत्यापन भी करा सकेगी।

(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों सहित जानकारी संस्था के माध्यम से छात्रों को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा।

जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

18– प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की वितरण प्रकिया

अन्य प्रांतों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा :–

(i) छात्र जिस जनपद का मूल निवासी है, उसी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था द्वारा संस्तुति सहित भेजा जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों, संलग्नक समस्त प्रमाण–पत्रों एवं सम्बन्धित छात्र का स्थानीय स्थलीय सत्यापनोपरान्त स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही इस नियमावली में अंकित व्यवस्थाओं के अनुरूप उस जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा की जायेगी, जो नियम–12(vii) के अन्तर्गत गठित की गयी है।

(ii) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित छात्र उत्तर प्रदेश की किसी शिक्षण संस्था में पंजीकृत अथवा अध्ययनरत तो नहीं है

(iii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा समुचित साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा।

19– संशोधन का अधिकार

(i) इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।

आज्ञा से,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव